न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार केम्प सोनियाणा

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–09/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 आरटीए

1. होकमा आत्मज लेहरू ओड निवासी रामाखेडा तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
2. चतरा आत्मज लेहरू ओड निवासी रामाखेडा तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
3. हीरालाल आत्मज मोहन ओड निवासी रामाखेडा तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
4. किशनलाल आत्मज मोहन ओड निवासी रामाखेडा तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
5. मु0 केसर पुत्री मोहन ओड निवासी रामाखेडा तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
6. मूला आत्मज लेहरू ओड निवासी रामाखेडा तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
7. चतरभुज गोदपुत्र कजोड़ ओड निवासी रामाखेडा तह. सहाडा जिला भीलवाडा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरू आत्मज रामा भील निवासी रामाखेडा तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
2. किशन आत्मज रामा भील निवासी रामाखेडा तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
3. गणेश आत्मज रामा भील निवासी रामाखेडा तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
4. नारायण आत्मज रामा भील निवासी रामाखेडा तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
5. मु0 चांदी पुत्री रामा भील निवासी रामाखेडा तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
6. मु0 डाली बेवा रामा भील निवासी रामाखेडा तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए</u> ::

निर्णय दिनांकः– 11.06.2018

:: निर्णय ::

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 के तहत मुकाम सोनियाणा पर प्रस्तुत हुई। प्रा0 पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण होकमा, चतरू पिता लेहरू ओड व अन्य की और से जरिये अधिवक्ता श्री ललीत सुराणा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. का विरूद्ध विपक्षीगण भेरू पिता रामा भील वगैरह के प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 424 रकबा 0.09 है0 एवं प्रार्थी संख्या 7 के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 423 रकबा 0.08 है0 एवं प्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 422 रकबा 0.08 है एवं प्रार्थी संख्या 6 के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 420 रकबा 0.08 है0 एवं प्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 को खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 421 रकबा 0.09 है0 भूमि जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 में दर्ज रेकार्ड है।

प्रार्थीगण के खातेदारी की उक्त वर्णित भूमियों में संज बैल पैदल गाडी ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता ग्राम रामाखेडा से साकरिया जाने वाली रोड से होकर आगे विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्याा 425 रकबा 0.06है0 के उत्तरी पश्चिमी कोने से प्रवेश

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

कर उक्त आराजी संख्या 425 की पश्चिमी पाली पर होकर प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की आराजी संख्या 424 में प्रवेश करते है यह रास्ता करीब 15 फीट चौडाई में स्थित है। प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णितानुसार रास्ते का उपयोग उपभोग करते हुए चले आ रहे है किन्तु विक्षपीगण की नियत में अब फितुर आ गया है और वे प्रार्थीगण को इस रास्ते का उपयोग उपभोग नहीं करने देना चाहते है।

प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र में अनुतोष चाहा है प्रार्थीगण की ग्राम रामाखेडा में स्थित प्रा0 पत्र की कलम नं0 11 में अंकित आराजियात में आवागमन संज बैल गाडी ट्रेक्टर आदि सहित का एकमात्र रास्ता जो ग्राम रामाखेडा से साकरिया जाने वाली सडक आराजी संख्या 341, 308 गै0मु0 रास्ता से होकर आगे विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 6 की आराजी संख्या 425 के उत्तरी पश्चिमी कोने से प्रवेश कर आराजी संख्या 425 की पश्चिमी पाली पर 15 फीट की चौडाई में स्थित है को नियमानुसार राशि जमा कर राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सहाडा के नाम फरमाया जावे एवं विपक्षीगण को पाबंद कराया जावे कि प्रार्थीगण के उक्त रास्ते में आवागमन करने में विपक्षीगण किसी प्रकार का कोई अवरोध कभी भी उत्पन्न नहीं करे तथा जो अवरोध तारबंदी करके कर दिया हे उसे तत्काल हटावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23.01.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थीगण हीरा, चतरा, होकमा, मूला व किशन की ओर से राजस्व लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा करने हेतु राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 शिविर मु0 सोनियाणा पर आवेदन पत्र मय राजीनामा प्रपत्र के प्रस्तुत किया।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार "ग्राम रामाखेडा स्थित हम प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज खातेदारी नं 425 रकबा 0.06 है0 में से पश्चिमी में के सहारे 12 फीट चौडाई का रास्ता रेकार्ड में अंकन कर दिया जावे प्रतिफल राशि 12000/— (बारह हजार रूपये) हमने प्राप्त कर लिया है इकरार नामा दिनांक [illegible]2018 शामिल है। लम्बाई 16 मीटर चौडाई 05 मीटर कुल 0.01है0 भूमि से रास्ता कायम कराया जावें।"

क्योंकि इस प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर नहीं किया जाकर प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर किया जाता है । अतः पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अत एवं प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के अनुसार आदेश दिये जाते हैं।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार तहसीलदार सहाडा को आदेश दिये जाते है कि ग्राम रामाखेडा स्थित विपक्षीगणों के नाम दर्ज खातेदारी खं0 नं0 425 रकबा 0.06है0 भूमि में से हारण (आव) को छोड़ते हुए पश्चिमी मेड के सहारे 12 फीट चौडाई का रास्ता लम्बाई 16 मीटर चौडाई 5 मीटर कुल 0.01है0 भूमि को विपक्षीगण के खाते से विलोपित की जाकर बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावें। तदनुसार नक्शे में तरमीम की जावें। प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार प्रतिफल राशि 12000/— का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को किया जा चुका है।

प्रस्तुत राजीनामे व इसके साथ सलंग्न इकरारनामे को इस आदेश का भाग माना जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाडा)